**FORM NO.III**
फर्द अहकाम
( नियम 26)
अज अदालत :— जिला कलेक्टर पाली

| अपीलांटः— | बनाम | रेस्पोडेन्ट :— |
|---|---|---|
| सन्तोष कुमार जैन निवास—B-140 अशोक विहार, कर्मचारी कॉलोनी अलवर—301001 (राज.) | | लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) पाली |

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 66 / 2021
G.C.M.S. No. -2021/254
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम—2005

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 1/10/21 | अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट से सूचना उपलब्ध करवाई गई अथवा नही एवं नहीं करवाई गई तो क्या कारण रहे। तुरन्त अपीलांट को निःशुल्क सुचना उपलब्ध करवाई जाकर प्रत्युतर प्रेषित करने हेतु पत्र लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 2/11/21 को पेश हो।<br>A<br>जिला कलक्टर, पाली | 1513-14<br>4/10/21 |
| 2-11-21 | पत्रावली आज पेश हुई।<br>लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त प्रत्युत्तर अनुसार अपीलार्थी को प्रभारी अधिकारी संस्थापन शाखा के द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दी जा कर सूचित कर दिया है। अपीलार्थी को नोटिस Regd. से प्रेषित किया जावे कि प्राप्त सूचना बाबत वे अपना पक्ष रखना चाहे तो इस न्यायालय में दि. 30/11/21 को उप. होकर रख सकता है उन्हें इस बाबत किसी प्रकार यात्रा व्यय/भत्ता देय नहीं होगा पत्रावली दिनांक 30/11/21 को पेश हो।<br>A<br>जिला कलेक्टर, पाली | 1680<br>8/11/21 |
| 30/11/21 | पत्रावली आज पेश हुई।<br>अपीलार्थी द्वारा उप. नहीं होकर पत्र प्रेषित किया है कि V.C. या सुनवाई हो अथवा यथोचित निर्णय पारित किया जावे। अपीलांट द्वारा [illegible] अन्तर्गत धारा 19(1) के [illegible] 2005 के तहत प्रस्तुत की गई [illegible] लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध कराई है इस न्यायालय द्वारा लिखा गया तो लोक सूचना अधिकारी ने अवगत कराया कि अपीलार्थी को सूचना आवेदन करने को प्रभारी अधिकारी संस्थापन शाखा कलेक्ट्रेट पाली उपलब्ध करवाई गई। उक्त पत्र की प्रति | |

P.I.O. लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:39:14 IST
Reason: SelfAttested

आपको लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दी गई है
प्रार्थी द्वारा ~~आको~~ वांछित सूचना के इसोक डिमांड मांगी
नहीं की है तथा आठ बिन्दुओं बाबत सूचना चाही गई है
किसी सूचना के समर्थित प्रमाण पत्र से किसी विशेषज्ञ से
का अंकन नहीं किया गया है तथा सूचना प्रश्न के रूप में
चाही गई है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा
6(1) 8 के अनुसार विशेषज्ञों के अभाव में सूचना देय नहीं
है। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के
अनुसार जो सूचना कार्यालय रेकार्ड में उपलब्ध है
उसी रूप में दिए जाने का प्रावधान है। किसी भी सूचना
का सृजन कर या उसे नया रूप प्रदान कर सूचना दिए
जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है। जिस रूप में अपीलार्थी
द्वारा सूचना चाही है उस रूप में सूचना इस कार्यालय में
संधारित नहीं की जाती है। तथा सूचना तैयार कर
दिए जाने की इजाजत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की
धारा 7(9) नहीं देती है। उक्त सूचना आपको लोक
सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की है अगर नहीं की है तो
प्रति संलग्न प्रेषित की जावे। अपील अपीलांट सूचना
की विशेषज्ञता प्रस्तुत नहीं करने से दिया जाना संभव
नहीं है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।
अपीलांट को नोटिस अपना पक्ष रखने हेतु दिया गया उप० ही नहीं हुआ था।
पत्रावली शुमार फैसला की जाकर इस
न्यायालय से नम्बर से कम हो।

[signature]

**जिला कलेक्टर, पाली**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:39:14 IST
Reason: SelfAttested